न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग

इजलाश श्री सुनील कुमार झिंगोनिया आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग

मुकदमा नं0 08/2024

1. अरसद हुसैन
2. जाकिर हुसैन
3. तैयुयब हुसैन

} पुत्रगण ईशाक मौहम्मद जाति मेव निवारी अकाता तहसील कामाँ जिला डीग राजस्थान

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, तहसील कामां, डीग, राजस्थान

अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्तागण

1–प्रार्थी अधिवक्ता श्री बाबूलाल शर्मा।

2–पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र दफा 136
भू–राजस्व अधिनियम–1956

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ

निर्णय

दिनांक 04.09.2024

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के तहत पेश किया कि बन्दोवस्ती से पूर्व आराजी खसरा नम्बर 564 गै0मु0 खार बांके ग्राम अकाता तहसील कामाँ में स्थित है जो करीब 22 बीघा के करीबन रकबा है जिसमें से 5 बीघा आराजी पर प्रार्थीगण के पिता का कब्जा व काश्त थी जिसे आवंटन कराने के लिए प्रार्थीगण के पिता ने एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष पेश किया जिस पर मौके की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 21.07.1979 को तैयार कर भेजी गई नकल मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी पेश है। दिनांक 31.07.1979 को आदेश के मुताबिक मौके पर कब्जा बावत रिपोर्ट दी जिसमें मौके पर खसरा नम्बर 564 में 3 बीघा 15 बिस्वा वतरफ पूरव दिशा होश खां की तरफ व 564 में ही खसरा नम्बर 567 के सहारे में आगर के नीचे एक बीघा 5 विस्वा पर कब्जा दिया गया उसी कदर आज तक प्रार्थीगण पूर्वजो के समय से ही काबिज होते चले आ रहे है। नकल घटना वही पटवारी दिनांक 31.07.1979 पेश है। साथ ही नक्शा पुराना खसरा नम्बर 564 पेश है। उक्त खसरा नम्बर 564/5/0.81 एयर जमीन प्रार्थीगण के पिता ईशाक मौहम्मद पुत्र अल्ला बक्स मेव के नाम खातेदारी काश्तकारी सम्वत 2067 से 2070 की जमाबन्दी तक रही उसके बाद ईशाक मौहम्मद की मृत्यु के बाद विरासतन इन्तकाल नं0 2483 से प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज हो गई। बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो ने राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर नया नम्बर कायम करते वक्त 564 सम्पूर्ण रकबे को जिनके नाम थे खसरा नम्बर डाल दिये परन्तु प्रार्थी का जो कब्जा दो जगह (स्थान) पर था उसे एक ही स्थान पर मानकर नया खसरा नम्बर 683/0.81 एयर का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जबकि मौके पर खसरा नम्बर 683 का रकबा करीबन 0.60 एयर है और खसरा नम्बर 686/0.26 एयर जमीन को मकबूजा सरकार

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

चारागाह कस्टोडियन के नाम दर्ज कर दिया जो मौके एवं कब्जे के आधार पर गलत है। चूंकि खसरा नम्बर 686 मौके पर करीबन 0.21 एयर जमीन है जिस पर प्रार्थीगण ने आबादी के पास होने के कारण अपने मकानात व कृषि सामान, बोगा, व कृषि मशीन रखने मे उपयोग में लेते चले आ रहे है जो बदस्तूर आज तक प्रार्थीगण मौके पर काबिज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में मकबूजा सरकार कस्टोडियन के नाम गलत दर्ज कर दिया है जिसे प्रार्थीगण कलमजन कर अपने नाम खातेदारी काश्तकारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा पाने के अधिकारी है। नकल जमाबन्दी हाल व नक्शा नया पेश है। आराजी मुतदाविया में प्रार्थीगण के साथ उनकी बहन व माँ भी खातेदार काश्तकार आराजी है माँ वृद्धा व चलने फिरने में असमर्थ होने के कारण व बहन अपनी ससुरान में होने के कारण वक्त प्रार्थना पत्र पेश करने उपस्थित नहीं आ सकी इसलिए प्रार्थना पत्र भाईयों की ओर से पेश किया जा रहा है। जबकि सभी खातेदार का समान हक व अधिकार है। प्रार्थना पत्र बावत राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कराने हेतु है जिस पर नियमानुसार कोर्ट फीस व तलवाना चस्पा है। प्रार्थना पत्र मे अंकित आराजी न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार के अन्दर है जिसे सुनने का हक हासिल है प्रार्थना पत्र बिना किसी देरी के तत्परता के साथ पेश है साथ ही अन्य बातें वक्त बहस जबानी अर्ज की जावेगी। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि भू–प्रबन्धक विभाग के कर्मचारियों ने बिना मौका देखे व बिना पैमाईश के प्रार्थीगणों को खसरा नम्बर 683/0.81 गलत दर्ज किया जा रहा है जबकि खसरा नम्बर 683 मौके पर करीबन 60 एयर है एवं खसरा नम्बर 686 जो गै0मु0 खार दर्ज किया है। उस पर प्रार्थीगण के मकान व कृषि सामान बोगा आदि बने हुए है इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्ब्र 683 को 0.81 एयर के स्थान पर 60 एयर दुरूस्त किया जावे साथी ही खसरा नम्बर 686/0.26 एयर मकबूजा सरकार कस्टोडियन के स्थान पर खसरा नम्बर 686/0.21 एयर पर प्रार्थीगणों को खातेदार एवं काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल तहसीलदार कामां को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार कामां द्वारा अपना जबाव/रिपोर्ट पत्रांक/भू0अ0 /2024/1281 दिनांक 01.07.2024 के माध्यम से प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण अरसद हुसैन, जाकिर हुसैन, तैय्यव हुसैन पिसरान ईशाक मौहम्मद जाति मेव निवासी अकाता नवीन नक्शा शीट में मौके के अनुसार आ0ख0न0 683/0.81 के स्थान पर 683/0.60 है तथा शेष रकबा की शुद्धि आराजी खसरा नम्बर 683 में मौका अनुसार शुद्धि चहाता है। जिसमें पटवारी हल्का अकाता को राजस्व रिकॉर्ड व नवीन नक्शा शीट व मौका अनुसार तथ्यात्मकर रिपोर्ट निम्नानुसार है– मुताबिक संवत 2010–2013 बांके ग्राम–अकाता के आ0ख0 नम्बर 564 (साविक) रकबा 26 बीघा 6 विस्वा किस्म गै0मु0 खार दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी खसरा नम्बर में से प्रार्थीगण के पिता ईशाक मौहम्मद पुत्र अला वक्स को सवतं 2038–41 में 5 बीघा जमीन एलोट हुयी थी। जिस पर खातेदारी अधिकार संवत 2047–50 में मिला। जमाबन्दी संवत 2038–41 व

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

2047–50 प्रतिलिपी संलग्न है। प्रार्थी द्वारा मौके पर तत्कालीन पटवार हल्का अकाता घटना वही की प्रति उपलब्ध करायी गई जिसमें घटनावही क्रमांक 55 दिनांक 31.07.1979 पर घटना का विवरण निम्न प्रकार लिखा है। जिसमें आदेश श्रीमान जिला पुनर्वास अधिकारी एवं मैनेजिंग ऑफिसर भरतपुर क्रमांक/पुर्न0/689–97 दिनांक 28.07.1979 के व हमराह श्रीमान गिरदावर साहब एवं निम्न हस्ताक्षरकर्ताओं के समक्ष मौके पर ख0न0 564 रकबा 3 व तरफ पूर्व होस खां पश्चिम की तरफ ईशाक मौहम्मद पुत्र अलावक्स कौम मेव सा देह नियमानुसार व 564 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा में ही खसरा नम्बर 567 के सहारे आगार के नीचे 1 बीघा 5 बिस्वा रकबा पर वाकर्ड खाली खेत पर दखल दिया गया। हरवक्स वन्य होशखां के व ईशाक के पूर्व साइड होसंखा व पश्चिम साईड ईशाक मौहम्मद पुत्र अलावक्स को दिया गया। जिसकी प्रतिलिपी संलग्न है। सेटलमेन्ट बन्दोबस्ती नक्शा सीट के नाम जमाबन्दी संवत 2074–77 में दोनो जगहों के दो प्रथक प्रथक खसरा नम्बर वन गये। एक खसरा नम्बर (564/5 साविक) 683 रकबा 0.81 है0 दुसरा खसरा नम्बर (564/19 साविक) 686 रकबा 0.26 है0 है। खसरा नम्बर 683 अरसद हुसैन वगैरहा जाति मेव सा0 अकाता खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जो कि प्रार्थीगण है। आ.ख.नम्बर 686/0.26 मकबूजा सरकार चारागाह कस्टोडियम हिस्सा पूर्ण मकबूजा चारागाह दर्ज रिकार्ड है। जिसकी जमाबन्दी सवंत 2074–77 संलग्न है। प्रार्थीगण का मौका कब्जा उपरोक्त अलग–अलग स्थानों पर एलोटमेन्ट के समय से ही चला आ रहा है। तथा वर्तमान मे भी अलग–अलग दोनों स्थानों पर कब्जा काश्त करते आ रहे है। मौका पर्चा संलग्न है। प्रार्थीगण को आ0ख0न0 686 सम्पूर्ण दिया जाकर तथा आ0ख0नम्बर 683 रकबा 0.81 है0 में से 0.26 है0 रकबा चारागाह में दर्ज रिकार्ड किया जाना उचित होगा। तथा आ0ख0नम्बर 683 का शेष रकबा 0.55 है0 प्रार्थीगणों का रहेगा। अतः ग्राम अकाता के हाल आराजी खसरा नम्बर 683 रकबा 0.81 है0 खातेदारी के स्थान पर 0.26 है0 चारागाह एवं 0.55 है0 खातेदारी तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 686 रकबा 0.26 है0 किस्म गै0मु0 चारागाह के स्थान पर 0.26 है0 प्रार्थीगणों की खातेदारी की शुद्धि किया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र का मनन किया तथा तहसीलदार रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया कि मुताबिक संवत 2010–2013 बांके ग्राम–अकाता के आ0ख0 नम्बर 564 (साविक) रकबा 26 बीघा 6 विस्वा किस्म गै0मु0 खार दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी खसरा नम्बर में से प्रार्थीगण के पिता ईशाक मौहम्मद पुत्र अला वक्स को सवतं 2038–41 में 5 बीघा जमीन एलोट हुई थी। जिस पर खातेदारी अधिकार संवत 2047–2050 में मिला। प्रार्थी द्वारा मौके पर तत्कालीन पटवार हल्का अकाता की घटना वही की प्रति उपलब्ध करायी गई जिसमें घटनावही क्रमांक 55 दिनांक 31.07.1979 पर घटना का विवरण निम्न प्रकार लिखा है कि आदेश श्रीमान जिला पुनर्वास अधिकारी एवं मैनेजिंग ऑफिसर भरतपुर क्रमांक/पुर्न0/689–97 दिनांक 28.07.1979 के व हमराह श्रीमान गिरदावर साहब एवं निम्न हस्ताक्षरकर्ताओं के समक्ष मौके पर ख0न0 564

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

रकबा 3 व तरफ पूर्व होस खां पश्चिम की तरफ ईशाक मौहम्मद पुत्र अलावक्स कौम मेव सा0 देह नियमानुसार व 564 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा में ही खसरा नम्बर 567 के सहारे आगार के नीचे 1 बीघा 5 बिस्वा बीघा रकबा पर वाकई खाली खेत पर दखल दिया गया। हरवक्स वन्य होशखां के व ईशाक के पूर्व साइड होसंखा व पश्चिम साईड ईशाक मौहम्मद पुत्र अलावक्स को दिया गया। सेटलमेन्ट बन्दोबस्ती नक्शा सीट के नाम जमाबन्दी संवत 2074–77 में दोनो जगहों के दो प्रथक–प्रथक खसरा नम्बर वनाये गये। एक खसरा नम्बर (564/5 साविक) 683 रकबा 0.81 है0 दूसरा खसरा नम्बर (564/19 साविक) 686 रकबा 0.26 है0 है। खसरा नम्बर 683 अरसद हुसैन वगैरा जाति मेव सा0 अकाता खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जो कि प्रार्थीगण है। आ.ख.नम्बर 686/0.26 मकबूजा सरकार चारागाह कस्टोडियम हिस्सा पूर्ण मकबूजा चारागाह दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण का मौका कब्जा उपरोक्त अलग–अलग स्थानों पर एलोटमेन्ट के समय से ही चला आ रहा है। तथा वर्तमान मे भी अलग–अलग दोनों स्थानों पर कब्जा काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण को आ0ख0न0 686 सम्पूर्ण दिया जाकर तथा आ0ख0नम्बर 683 रकबा 0.81 में से 0.26 है0 रकबा चारागाह में दर्ज रिकार्ड किया जाना उचित होगा। तथा आ0ख0नम्बर 683 का शेष रकबा 0.55 है0 प्रार्थीगणों का रहेगा। अतः ग्राम अकाता के हाल आराजी खसरा नम्बर 683 रकबा 0.81 है0 खातेदारी के स्थान पर 0.26 है0 चारागाह एवं 0.55 है0 खातेदारी तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 686 रकबा 0.26 है0 किस्म गै0मु0 चारागाह के स्थान पर 0.26 है0 प्रार्थीगणों की खातेदारी में शुद्धि किया जाना उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 683 को 0.81 है0 के स्थान पर 0.60 है0 दुरूस्त किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 686/0.26 एयर मकबूजा सरकार कस्टोडियन के स्थान पर खसरा नम्बर 686/0.21 एयर पर प्रार्थीगणों को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे साथ ही आराजी खसरा नम्बर 683 के शेष रकबा 0.21 है0 चारागाह दर्ज किया जाता है। प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर वाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को खुले न्यायालय सरे इजलास पढकर सुनाया गया।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
कामाँ (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0